CNR No.– UPME010087152026

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ**

**पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार–I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395**

**कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०–2964/2026**

**प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०–75/2026**

जगत सिंह पुत्र स्व० दीवान सिंह, निवासी ग्राम मुंशी गांव, थाना कालसी जिला देरहरादून।

**.....आवेदक/अभियुक्त**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

**अं०धारा–7 भ्र०नि० अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018**
**मु०अ०सं०–263/2026**
**थाना–मोदीनगर, जिला गाजियाबाद।**

**उपस्थित:– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बरेश राय।**
**राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री डॉ संजीव कुमार गुप्ता।**

**दिनांक– 24.06.2026**

**1.** प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त जगत सिंह पुत्र स्व० दीवान सिंह के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अन्तर्गत धारा–7 भ्र०नि० अधिनियम, मु०अ०सं०– 263/2026, थाना–मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार के रूप में संसार सिंह तोमर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

**2.** अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता के पिता श्री प्रमोद कुमार के नाम दिनांक 01.04.2025 से ग्राम तुलहेरा ब्लक भोजपुर, तहसील मोदीनगर, जनपद ग़ाजियाबाद में देशी शराब का ठेका संचालित है, जिसका दिनांक 01.04.2026 में नवीनीकरण हुआ है तथा जिसकी देख–रेख शिकायतकर्ता स्वयं करता है। दिनांक 24.03.2026 को तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद स्थित आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात आबकारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार व बड़े बाबू श्री जगत सिंह, शिकायतकर्ता के पिता की देशी शराब की दुकान पर आकर, साईन बोर्ड नहीं लगाने जैसी छोटी–मोटी कमियां निकाल कर शराब की दुकान का चालान कर दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 30.04.2026 को चालान की धनराशि 9,000/– रूपये जमा करने के पश्चात भी बडे बाबू श्री जगत सिंह दो–तीन बार शिकायतकर्ता की

शराब दुकान पर आये और उससे कहा कि आपको शराब का ठेका चलाना है, तो प्रतिमाह 7,000/–रू० मुझे देने होगें, नहीं तो इससे ज्यादा चालान छः महीने में जमा करना पड़ेगा। दिनांक 30.04.2026 को शिकायतकर्ता आबकारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह से तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद स्थित आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर उनसे मिला और उनसे अनुरोध किया कि छोटी–मोटी कमियों के लिए चालान करके हमें परेशान न किया जाये, जिस पर आबकारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा शिकायतकर्ता से बडे बाबू श्री जगत सिंह से मिलने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता बडे बाबू श्री जगत सिंह से मिला तो बड़े बाबू श्री जगत सिंह ने शिकायतकर्ता से कहा कि यदि शराब का ठेका चलाना है तो प्रतिमाह 7,000/–रूपये देने पड़ेंगे, चाहे कहीं भी शिकायत कर लो। शिकायतकर्ता ने दिनांक 13.05.2026 व दिनांक 21.05.2026 को अपने मो०नं० से बडे बाबू श्री जगत सिंह से उनके मो०नं०–63964XXXXX, 94119XXXXX पर वार्ता की गई तो बड़े बाबू ने शिकायतकर्ता से कहा कि यह बातें फोन पर नहीं होती, आप कार्यालय में आकर मुझसे मिलों। शिकायतकर्ता दिनांक 22.05.2026 को बड़े बाबू श्री जगत सिंह से फोन पर बात करके तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद स्थित आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर उनसे मिला। बडे बाबू श्री जगत सिंह द्वारा पुनः शिकायतकर्ता से कहा कि ठेका चलाना है तो प्रतिमाह 7,000/–रूपये देने ही पड़ेगें। शिकायतकर्ता के काफी अनुरोध करने पर बड़े बाबू श्री जगत सिंह प्रतिमांह 6,000/–रूपये लेने पर तैयार हुए। शिकायतकर्ता ने बड़े बाबू श्री जगत सिंह से 6,000/– रुपये देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। बडे बाबू श्री जगत सिंह ने शिकायतकर्ता से कहा कि दिनांक 30.05.2026 तक 6,000/–रूपये, मेरे कार्यालय में आकर दे जाना, नहीं तो अगले दिन मैं आबकारी निरीक्षक को लेकर तुम्हरी दुकानं पर आ जाऊंगा। फिर मत रोना कि मेरा नुकसान हो गया। शिकायतकर्ता ने बडे बाबू श्री जगत सिंह को 6,000/–रूपये प्रतिमाह रिश्वत देने की हामी भर ली, लेकिन शिकायतकर्ता ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक को रिश्वत देना नहीं चाहता है, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हैं। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रीट्रैप जांच निरीक्षक श्री योगेन्द्र कुमार के द्वारा प्रीट्रैप जांच आख्या दी गयी। प्रीट्रैप जांच से शिकायत की पुष्टि होने पर ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम के द्वारा दिनांक 03.06.2026 को जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा पत्र पर एडीएम सिटी को गवाह नामित करने हेतु मार्क किया गया। एडीएम सिटी गाजियाबाद के द्वारा दो नामित स्वतन्त्र साक्षीगण की उपस्थिति में अभियुक्त को शिकायतकर्ता से 6,000/–रुपये रिश्वत के लेते हुये रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में फर्द तैयार की गयी। फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

**3.** आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में विभागीय रंजिश के चलते रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 4.6.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रधान आबकारी सिपाही के पद पर क्षेत्र–2 मोदीनगर गाजियाबाद में तैनात है। मामले की एफ०आई०आर० दिनांक 3.06.2026 को थाना मोदीनगर गाजियाबाद में लिखाई गयी तथा घटना का समय व दिनांक 03.6.2026 समय 17.25 बजे का बताया गया है। प्राथमिकी अत्यंत विलम्ब से लिखायी गयी है जिसका कोई कारण स्पष्ट नही है जिससे स्पष्ट है विभागीय रंजिश के चलते सलाह मशवरे के बाद

प्रार्थी/अभियुक्त को साजिश के तहत फसाने की नियत से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से रिश्वत अथवा अन्य प्रकार से कोई धनराशि प्राप्त नही की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई अपराध भ्रष्टाचार का नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त सरकारी सेवा में रहते हुए मेहनत व ईमानदारी से अपनी नौकरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त समाज के सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है और जो भी साक्षी दिखाये गये हैं वह हितबद्ध व सरकारी कर्मचारी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का नही बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त से वास्तव में किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही है तथा समस्त कार्यवाही विभागीय पुरानी रंजिश के कारण साजिशन षडयंत्र के तहत पूर्व नियोजित योजना के तहत की गयी है। प्रार्थी /अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिये उचित धनराशि के जामिनान देने को तैयार है।

**4.** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया है प्राथमिकी अत्यंत विलम्ब से लिखायी गयी है जिसका कोई कारण स्पष्ट नही है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई अपराध भ्रष्टाचार का नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त सरकारी सेवा में रहते हुए मेहनत व ईमानदारी से अपनी नौकरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्त से वास्तव में किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही है तथा समस्त कार्यवाही विभागीय रंजिश के कारण साजिशन षडयंत्र के तहत पूर्व नियोजित योजना के तहत की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सभ्य परिवार का सम्मानित सदस्य है।

**5.** अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा इस जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता श्री कैलाश चन्द्र से उसके शराब का ठेका चलाने के लिए प्रतिमाह 6,000/– रुपये उत्कोच की धनराशि की मांग की गई तथा दिनांक 03.06.2026 को 6,000/– रूपये प्राप्त करते हुये मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त को चालान करने का अधिकार प्राप्त नही था किन्तु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा विवेचना में एक पत्र शामिल कराया गया जिसमें प्रधान आबकारी सिपाही के क्षेत्र में गश्त करने, मुखबिरी करने, अवैद्य मदिरा, अवैद्य शीरा एवं नार्कोटिक्स पदार्थो की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी निरीक्षक को सूचना देने के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रावधान का दुर्पयोग करते हुए आवेदक/अभियुक्त के द्वारा धनराशि की मांग की गई है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

**6.** अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

**7.** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त जगत सिंह अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता श्री कैलाश चन्द्र से उसकी शराब की दुकान का चलान न

कराने की एवज में महीनेदारी के रूप में प्रतिमाह 6,000/– रूपये रिश्वत की मांग की गई तथा दिनांक 03.06.2026 को समय 13:25 बजे शिकायतकर्ता से 6,000/– रुपये उत्कोच की धनराशि प्राप्त करते हुये, एडीएम सिटी गाजियाबाद द्वारा नामित दोनों स्वतन्त्र साक्षीगण श्री सतबीर सिंह, प्रधान सहायक कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद व गौरव शर्मा कनिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद के समक्ष पकड़े जाने का अभियोग है। प्रीट्रैप जांच के उपरान्त ट्रैप टीम का गठन होने, ट्रैप टीम को शिकायतकर्ता के द्वारा दिये गये नोटों को ट्रीट किये जाने, नोटों को ट्रीट करने के सम्बन्ध में फर्द प्रदर्शन तैयार करने, ट्रैप के लिये दो स्वतन्त्र गवाहों को नामित किये जाने तथा ट्रैप टीम के द्वारा अभियुक्त को शिकायतकर्ता से धनराशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकड़े जाने तथा स्वतन्त्र साक्षीगण की मौजूदगी में नोट ट्रीटकर्ता एवं शिकायकर्ता के हाथों को टीम के सदस्य द्वारा सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर हाथो के रंग का घोवन गुलाबी होने पर अलग अलग कांच के ग्लासों में सील सर्वे मोहर व नमूना मोहर तैयार करने के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा उक्त अपराध में संकलित होने के पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में मौजूद है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

इसके अतिरिक्त अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उत्कोच प्राप्त करने के अपराध के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **सी.बी.आई. बनाम संतोष करनानी 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 427** में कठोर दृष्टिकोण रखने के संबंध में व्यक्त किये गये मत को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त जगत सिंह पुत्र स्व० दीवान सिंह की ओर से अन्तर्गत धारा–7 भ्र०नि० अधिनियम, मु०अ०सं०– 263/2026, थाना–मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–75/2026 निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त जेल में है। इसलिये अभियुक्त को सूचनार्थ इस आदेश की प्रतिलिपि ई –मेल के माध्यम से जिला कारागार प्रेषित की जाये।

**दिनांकः 24.06.2026**

**(अजय कुमार–I)**
**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण**
**(V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ।**

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.24 17:23:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut